

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर  
पत्रांक- 1194 / मी0क्षे0 / 33दिनांक, मीरजापुर, सितम्बर 26- 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत मे0 हिण्डालको इण्डरट्रीज लि0 रेनुकूट को 132 के0वी0 विद्युत पारेषण लाइन के खम्भे आदि लगाने हेतु पूर्व में पट्टे पर दी गयी 6.394 हे0 वन भूमि की लीज को पुनः 25 वर्षों हेतु दिनांक- 01.04.2022 से दिनांक- 31.03.2047 तक नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

(ऑन लाईन नवीनीकरण प्रस्ताव संख्या-FP/UP/TRANS/140402/2021)

संदर्भ:-

आपका पत्र संख्या-2690/11-सी, FP/UP/TRANS/140402/2021 लखनऊ दिनांक-24.03.2022

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त उल्लिखित कमियों/अभिलेखों के निराकरण के पश्चात संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या-806/रेनुकूट/15-26 दिनांक 03.09.2022 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा उल्लिखित कमियों/अभिलेखों के निराकरण के पश्चात संशोधित प्रस्ताव 03 प्रतियों में संस्तुति सहित निर्धारित टेबुलर फार्म में निम्न प्रकार प्रेषित किया है:-

क्र0सं0	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या-2690/11-सी, FP/UP/TRANS/140402/2021 लखनऊ दिनांक-24.03.2022 में इंगित की गयी कमियों का विवरण।	अनुपालन आख्या
1	प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक-343/11-सी, दिनांक 14.08.2020 के क्रम में संलग्न किया गया प्रमाण पत्र मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	इस बिन्दु के अनुपालन में पत्रांक-343/11-सी दिनांक- 14.08.2020 के क्रम में प्रतिहस्ताक्षरित की गयी है।
2	प्रस्ताव में DSS Analysis से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा जारी किया गया DSS Analysis से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत प्रकरण में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र का अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या- 061/12-42-2 (जी0आई0एस0) लखनऊ दिनांक- 08.08.2022 द्वारा से DSS Analysis सम्बन्धित प्रमाण पत्र जारी किया गया है जिसकी प्रति प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 66 पर संलग्न किया गया है।
3	प्रस्ताव में प्रस्तावित वनभूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने (औषधीय) पौधों के वृक्षारोपण के संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत पारेषण लाइन के नीचे पूर्व से प्राकृतिक एवं रोपित पौधे उपलब्ध हैं, जिसमें पुनः बौने (औषधीय) पौधों का वनीकरण किया जाना नियमानुसार संभव नहीं है। अतः उपरोक्त स्थल का सत्यापित कलर फोटोग्राफ संलग्न किया जाये।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत ग्रान्समिशन लाईन के प्रारम्भिक बिन्दु, मध्य बिन्दु एवं अन्तिम बिन्दु का ए-4 साईज का कलर फोटोग्राफ प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 67 ए पर संलग्न किया गया है।
4	प्रस्ताव में संलग्न अभिलेखों में प्रथम लीज अवधि दिनांक 01.04.1972 से दिनांक 31.03.1997 तक का उल्लेख है। प्रथम लीज की प्रारम्भ तिथि 01.04.1972 किस आधार पर ली गयी है। इससे सम्बन्धित कोई भी साक्ष्य प्रस्ताव में संलग्न नहीं है। संलग्न करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि वन भूमि 15.80 एकड़ (6.394 हे0) प्रथम बार उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या-4887(2)/14-2-794/72दिनांक-02.09.1972 द्वारा 25 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरित किये



		<p>जाने हेतु आदेशित किया गया जिसकी प्रति प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 8 पर संलग्न है ।</p> <p>उक्त आदेश के अनुसार लीज की अवधि दिनांक- 02.09.1972 से 01.09.1997 तक 25 वर्षों हेतु मानी गयी थी। किन्तु लीज के प्रथम नवीनीकरण संबंधित जारी आदेश संख्या-774/14-2-2000-749/72 दिनांक- 02.03.2001 में लीज की अवधि दिनांक 01.04.1997 से 31.03.2022 तक अंकित किया गया है, जिसकी प्रति प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 11-13 पर संलग्न किया गया है ।</p>
5	<p>हार्डकापी भाग-2 में प्रथम लीज अवधि दिनांक 09.08.1972 से दिनांक 08.08.1997 तक तथा द्वितीय लीज अवधि दिनांक 01.04.1997 से दिनांक 31.03.2022 तक का उल्लेख है। उपरोक्त से यह विदित होता है कि प्रथम लीज अवधि दिनांक 08.08.1997 को समाप्त होने से पूर्व ही द्वितीय लीज अवधि दिनांक 01.04.1997 से प्रारम्भ हो गयी। ऐसा किन परिस्थितियों में किया गया है। यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अतः इससे सम्बन्धित अभिलेख/साक्ष्य प्रस्ताव में संलग्न कर स्पष्ट करें।</p>	<p>इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि वन भूमि 15.80 एकड़ (6.394 हे०) प्रथम वार उ०प्र० शासन के आदेश संख्या-4887(2)/14-2-794/72 दिनांक-02.09.1972 द्वारा 25 वर्षों के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने हेतु आदेशित किया गया जिसकी प्रति प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 8 पर संलग्न है ।</p> <p>उक्त आदेश के अनुसार लीज की अवधि दिनांक- 02.09.1972 से 01.09.1997 तक 25 वर्षों हेतु मानी गयी थी। किन्तु लीज के प्रथम नवीनीकरण संबंधित जारी आदेश संख्या-774/14-2-2000-749/72 दिनांक- 02.03.2001 में लीज की अवधि दिनांक- 01.04.1997 से 31.03.2022 तक अंकित किया गया है, जिसकी प्रति प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 11-13 पर संलग्न किया गया है । उक्त आदेश उ०प्र० शासन द्वारा निर्णय लेते हुए जारी किया गया है ।</p>
6	<p>प्रस्ताव में पूर्व का त्रुटिपूर्ण ऑनलाईन पार्ट-2 संलग्न है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।</p>	<p>इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्ताव में संलग्न किये गये पूर्व का त्रुटिपूर्ण ऑनलाईन पार्ट-2 को प्रस्ताव से पृथक करा दिया गया है ।</p>
7	<p>प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक की संस्तुति का भाग-3 मूल में संलग्न नहीं है।</p>	<p>इस बिन्दु के अनुपालन में भाग-3 मूल में संस्तुति सहित संलग्न किया गया है।</p>
8	<p>वन स्वरूप चिन्हित क्षेत्र प्रस्ताव में सम्मिलित न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में आशय स्पष्ट नहीं है। अतः स्पष्ट प्रमाण पत्र संलग्न करें।</p>	<p>इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रभाग स्तर से वन स्वरूप के रूप में चिन्हित किये गये क्षेत्रों में प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि को सम्मिलित नहीं किया गया है ।</p>
9	<p>हार्डकापी भाग-2 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित विवरण आदि का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः विवरण का उल्लेख करते हुये पूर्ण हार्डकापी भाग-2 प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाईन अपलोड करें।</p>	<p>इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि क्षतिपूरक वनीकरण से संबंधित विवरण ऑन लाईन भाग-2 के क्रम संख्या- 13(i)(ii)(iii) में अपलोड कराते हुए संबंधित अभिलेखों को चेक लिस्ट के अनुसार प्रस्ताव में यथा स्थान संलग्न किया गया है ।</p>
10	<p>हार्डकापी भाग-2 में मूल लीज का आदेश सं०-4050/14-2-794/72, दिनांक 09.08.1997 तथा प्रस्ताव में संलग्न आदेश में उक्त दिनांक 02.09.1972 एवं 01.09.1972 अंकित कर ओवर राइटिंग की गयी है, जिससे आदेश जारी होने की तिथि भ्रामक है। अतः सही लीज का आदेश संलग्न कर ऑनलाईन अपलोड किया</p>	<p>इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्ताव के हार्डकापी भाग-2 को संशोधित कराते हुए प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 4 पर संलग्न कराते हुए ऑन लाईन भाग-2 में अपलोड करा दिया गया है ।</p>





	जाये।	
11	प्रस्ताव में संलग्न अभिलेखों में प्रथम लीज का आदेश सं०-4887(2)/14-2-794/72, दिनांक 02.09.1972 का उल्लेख है, जबकि प्रस्ताव में इस आदेश सं० का कोई आदेश संलग्न नहीं किया गया है। अतः स्थिति स्पष्ट कर संलग्न करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि दिनांक 02.09.1972 की प्रति प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 8 पर संलग्न करा दिया गया है।
12	प्रस्ताव के पृष्ठ सं०-18 एवं 38 में भारत सरकार के आदेश सं० का दिनांक 06.10.2002 अंकित है, जोकि गलत है। अतः सही दिनांक अंकित कर संलग्न करें तथा ऑनलाईन भाग-2 से पूर्व का डिलिट कर ऑनलाईन अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या- 18 एवं 38 पर संलग्न अभिलेखों में भारत सरकार द्वारा जारी आदेश की सही तिथि दिनांक-06.10.2000 अंकित कराते हुए ऑनलाईन भाग-2 से पूर्व का प्रमाण पत्र हटाते हुए संशोधित प्रमाण-पत्र अपलोड करा दिया गया है।
13	उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण करने के उपरान्त संशोधित प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ तथा ऑनलाईन में अपलोड किये गये त्रुटिपूर्ण अभिलेखों को डिलिट कर उपरोक्तानुसार संशोधित अभिलेखों को ऑनलाईन अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्ताव की 3 प्रतियाँ संलग्न किया जा रहा है।
14	संशोधित प्रस्ताव की पी०डी०एफ० फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर तीनों प्रस्तावों में संलग्न करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्ताव की पी०डी०एफ० फाइल पेनड्राइव में अपलोड कराते हुए पेनड्राइव तीनों प्रस्तावों में अलग-अलग संलग्न करा दिया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत के सम्बन्ध में प्रेषित बिन्दुवार आख्या एद्दसह संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय  
(रमेश चन्द्र झा)  
मुख्य वन संरक्षक  
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या- 1194 अ/समदिनांकित

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को पत्र संख्या-806/रेनुकूट/15-26 दिनांक 03.09.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा)  
मुख्य वन संरक्षक  
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर